HRA AN UNIVERSE STANDARD THE Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 427] No. 427] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(ई एम अनुभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 17 जून, 2009

सं. फेमा 194/2009-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और उधार देना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2009

सा. का.नि. 547(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्ब बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2004-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(क) ये विनियम (विदेशी मुद्रा प्रबंध में उधार लेना और उधार देना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे ।
 - (ख) वे इन विनियमावली में विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू समझे जाएंगे ।
- 2. विनियम में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा, 3/2000-आरबी)(अब इसके आगे से 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में.—

- (क) पैरा (1) में सारणी 1 में
 - (क) उप-पैरा (iv) में
 - (i) खण्ड कक के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि जैसे उसे 29 मई, 2008 को प्रतिस्थापित किया गया हो, अर्थात् :— ''(कक) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर यथा निर्दिष्ट प्रति वित्तीय वर्ष प्रति उधारकर्ता कम्पनी को अधिक से अधिक 500 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि तक इस प्रकार के ऑतम उपयोगों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर यथा निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में उधार की अनुमति दी जाएगी।''
 - (ii) खण्ड (क) में, उप-पैरा (क) में, 'स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि जैसे इसे 8 अक्तूबर, 2008 से प्रतिस्थापित किया गया हो, अर्थात् :-''स्पष्टीकरण निस्नलिखित क्षेत्र बनियादी क्षेत्र
 - ''स्पष्टीकरण: निम्नलिखित क्षेत्र बुनियादी क्षेत्र माने जाएंगे अर्थात्: (i) बिजली, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे, (iv) पूलों सहित सड़कें, (v) बंदरगाह और हवाई अड्डा, (vi) औद्योगिक पार्क, (vii) शहरी बुनियादी सुविधाएं (जल आपूर्ति, सेनिटेशन और जल-मल निकासी परियोजनाएं) और (viii) खनन, शोध और रिफाइनिंग।''
 - (ख) उप-पैरा (ix) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि जैसे उसे 22 अक्तूबर, 2008 को प्रतिस्थापित किया गया हो, अर्थात्:—

''(ix) ऋण राशि रखना-

अनुसूची के तहत विदेशी मुद्रा में ली गई उधार की राशि अनुमत ॲितम-उपयोगों के लिए प्रयोग करने तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट विदेश अथवा भारत में रखी जाएगी। ''

(ख) पैरा (3) में सारणी II में,

- (क) उप-पैरा (iii) में.
 - (i) खण्ड (क) में, उप-पैरा (क) में, 'स्पष्टीकरण' के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि जैसे उसे 8 अक्तूबर, 2008 को प्रतिस्थापित किया गया हो, अर्थात् :-
 - "स्पष्टीकरण: निम्निलिखित क्षेत्र बुनियादी क्षेत्र माने जाएंगे अर्थात्: (i) बिजली, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे, (iv) पूलों सिंहत सड़कें, (v) बंदरगाह और हवाई अड्डा, (vi) औद्योगिक पार्क, (vii) शहरी बुनियादी सुविधाएं (जल आपूर्ति, सेनिटेशन और जल-मल परियोजनाएं) और (viii) खनन, शोध और रिफाइनिंग।"
 - (ii) खण्ड कक प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि जैसे उसे 29 मई, 2008 को प्रतिस्थापित किया गया हो।
 - "(कक) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्देष्ट प्रति वित्तीय वर्ष प्रति उधारकर्ता कम्पनी को ऐसी राशियों तक विदेशी मुद्रा में उधार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट इस प्रकार के अंतिम-उपयोगों के लिए अनुमति दी जाएगी।"
 - (iii) उप-पैरा (viii) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि जैसे उसे 22 अक्तूबर, 2008 को प्रतिस्थापित किया गया हो, अर्थात्:—

''ऋण राशि रखना-

अनुसूची के तहत विदेशी मुद्रा में ली गई उधार की राशि अनुमत अंतिम-उपयोगों के लिए प्रयोग करने तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट विदेश अथवा भारत में रखी जाएगी।''

> [फा. सं. I/23/ईएम/2000-वाल्युम-IV] सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

- (i) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ii) मूल विनियमावली 5 मई, 2000 को सं. सा.का.नि. 386(अ) के जरिए सरकारी राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई और तत्पश्चातृ निम्नलिखित द्वारा
 - संशोधित की गयी । (क) सं. सा.का.नि. 674(अ) तारीख 25 अगस्त, 2000
 - (ख) सं. सा.का.नि. 476(अ) तारीख 8 जुलाई, 2002

- (ग) सं. सा.का.नि. 854(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2002
- (घ) सं. सा.का.नि. 531(अ) तारीख 9 जुलाई, 2003
- (ङ) सं. सा.का.नि. 533(अ) तारीख 9 जुलाई, 2003
- (च) सं. सा.का.नि. 208(अ) तारीख 23 मार्च, 2004
- (छ) सं. सा.का.नि. 825(अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2004
- (ज) सं. सा.का.नि. 60(अ) तारीख 9 फरवरी, 2005
- (झ) सं. सा.का.नि. 739(अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2005
- (ञ) सं. सा.का.नि. 663(अ) तारीख 16 अक्तूबर, 2007
- (ट) सं. सा.का.नि. 61(अ) तारीख 30 जनवरी, 2009

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(E.M. Section)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th June, 2009

No. FEMA, 194/2009-RB

Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Second Amendment) Regulations, 2009

G.S.R. 547(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 3/2000-RB dated May 3, 2000), namely:—

- 1. Short title and commencement.— (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Second Amendment) Regulations, 2009.
- (b) They shall come into force from the dates specified in these Regulations.
- 2. Amendment of the Reaulations.—In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 3/2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as 'the principal regulations'),—

(A) In Schedule I in paragraph (1).-

- (a) in sub-paragraph (iv)
 - (i) for clause AA, the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 29th day of May, 2008, namely:—

"(AA) Borrowings in foreign exchange per borrower company per financial year up to such amounts not exceeding US Dollars 500 million or its equivalent as directed by the Reserve Bank from time to time shall be permitted for such permissible end-uses as indicated by Reserve Bank from time to time".

(ii) in sub-paragraph (A), in clause (a), for 'Explanation' the following shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from the 8th day of October 2008, namely:—

"Explanation: The following sectors will qualify as infrastructure sectors, namely: (i) Power, (ii) Telecommunication, (iii) Railways, (iv) Road including Bridges, (v) Sea Port and Airport, (vi) Industrial Parks, (vii) Urban Infrastructure (water supply, sanitation and sewage projects) and (viii) Mining, Exploration and Refining".

(b) for sub-paragraph (ix) the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 22nd day of October, 2008, namely:—

"(ix) Parking of loan amount

The proceeds of borrowings in foreign exchange availed under the schedule may, pending utilisation for permissible end-uses, be parked abroad or in India as directed by the Reserve Bank from time to time".

(B) In Schedule II, in paragraph (3), in subparagraph (iii),

(i) in sub-paragraph (A) in clause (a) for 'Explanation' the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 8th day of October, 2008, namely:—

"Explanation: The following sectors will qualify as infrastructure sectors, namely: (i) Power, (ii) Telecommunication, (iii) Railways, (iv) Road including Bridges, (v) Sea Port and Airport (vi) Industrial Parks, (vii) Urban Infrastructure (water supply, sanitation and sewage projects) and (viii) Mining, Exploration and Refining".

(ii) clause AA shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from the 29th day of May, 2008. "(AA) Borrowings in foreign exchange per borrower company per financial year up to such amounts as directed by the Reserve Bank from time to time shall be permitted for such permissible end-uses as indicated by Reserve Bank from time to time".

(iii) for sub-paragraph (viii), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 22nd day of October, 2008, namely:—
"Parking of loan amount

The proceeds of borrowings in foreign exchange availed under the schedule may, pending utilisation for permissible end-uses, be parked abroad or in India as directed by the Reserve Bank from time to time".

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol.-IV] SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-charge

Foot Note:

- (i) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.
- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 386(E) dated 5th May, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide:—
 - (a) No. G.S.R. 674(E) dated August 25, 2000
 - (b) No. G.S.R. 476(E) dated July 8, 2002
 - (c) No. G.S.R. 854(E) dated December 31, 2002
 - (d) No. G.S.R. 531(E) dated July 9, 2003
 - (e) No. G.S.R. 533(E) dated July 9, 2003
 - (f) No. G.S.R. 208(E) dated March 23, 2004
 - (g) No. G.S.R. 825(E) dated December 22, 2004
 - (h) No. G.S.R. 60(E) dated February 9, 2005
 - (i) No. G.S.R. 739(E) dated December 22, 2005
 - (i) No. G.S.R. 663(E) dated October 16, 2007
 - (k) No. G.S.R. 61(E), dated January 30, 2009 अधिसूचना

मुम्बई, 7 जुलाई, 2009

सं. फेमा 195/2009-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा की निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2009

सा.का.नि. 548(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (छ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्ब बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000) की अधिसूचना सं. फेमा. 6/2000-आर.बी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(क) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे।
- (ख) ये विनियम, शासकीय राजपंत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
- 2. विनियम में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 6/2000-आरबी) में, विनियम 3 में, उप-विनियम (1) में,
 - (1) खण्ड (क) में, ''रु. 5000'' अंकों के लिए ''रु. 7500 (सात हजार पांच सौ रुपए केवल)'' अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (2) खण्ड (ग) में, ''रु. 5000'' अंकों के लिए ''रु. 7500 (सात हजार पांच सौ रुपए केवल)'' अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000/वाल्युम-IV]

सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली 5 मई, 2000 को सं. सा.का.नि. 389(अ) के जरिए सरकारी राजपत्र में भाग 11, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में, प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् 21 मार्च, 2001 के सं. सा.का.नि. 201(अ) के जरिए संशोधित की गई।

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th July, 2009

No. FEMA, 195/2009-RB

Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Amendment) Regulations, 2009

G.S.R. 548(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 6 and Sub-

- section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 6/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—
- 1. Short Title and Commencement.— (i) These regulations may be called as Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Amendment) Regulations, 2009.
- (ii) They shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment to the Regulations.—In the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 6/2000 RB) dated May 3, 2000, in Regulation 3, in subregulation (1),
 - in clause (a), for the figures "Rs. 5000", the figures and words "Rs. 7500 (Rupees seven thousand five hundred only)" shall be substituted;
 - (2) in clause (c), for the figures "Rs. 5000", the figures and words "Rs. 7500 (Rupees seven thousand five hundred only)" shall be substituted;

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol.-IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-charge

Foot Note:— The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 389(E) Part-II, Section 3, Subsection (i) dated May 5, 2000 and subsequently amended vide No. G.S.R. No. 201(E) dated March 21, 2001.